उत्तर प्रदेश सरकार



आधिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं सम्पत्ति प्रमाण पत्र

प्रमाण पत्र कर 17597 दिनां यर्षे २०२उ-२ पे लिए येव

दिनांक 21/11/2.23

यह प्रमाणित किया जाता है कि उज्याद तिवारी

निवासी ७३६ होत्य के हो बी चक्क

डाकघर के तहसील करछना जनपद प्रयागराज, उ०९० पिन कोड के के मूल निवासी हैं, जिनकी फोटो नीचे अनुप्रमाणित हैं, वे आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग से हैं, क्यांकि वित्तीय वर्ष के कि के कि में उनकी/उनके परिवार** की सकल वाषिक आय* 8 लाख रुपये (आठ लाख रुपये) से कम है। उनके/उनके परिवार के पास निम्नलिखित में से कोई सम्पत्ति*** नहीं है।

5एकड़ और उससे ऊपर कृषि भूमि,

1000 वर्ग फुट या उससे अधिक का आवासीय प्लेट,

अधिसृचित नगरपालिकाओं में 100वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय मूखण्ड,

अधिसूचित नगर पालिकाओं के अलावा अन्य वोत्रों में 200यर्ग गज और उससे अधिक के आवासीय भूखण्ड

उर्ज्य तिवारी जनजाति से सम्बन्धित हैं, जिसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (केंद्रीय सूची) के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है।



नाम

*बोटा- आय के अंतर्गत सभी ओर्टी अर्थात येतन, जूबि, व्यवसाय, पेशे इत्यादि शामिल हैं।

**नोट?- इस उपयेश्य के लिए परितर शब्द में, आरक्षण का लाम चाहने वाले व्यक्ति के नाता-पिता, 18 साल ले कुम छेत्र के भाई स्थन तथा उसके पति/पत्नी और 18 साल से कम छा के बच्चे शामिल हैं।

***भीट3- EWS रिवारि किर्वारित करने के लिए भूमि या सम्पत्ति धारण परीक्षण को लागू करते समय विभिन्न स्थानों या शहरों में एक परिवार दान रखी गई सम्पत्ति को जोड़ा गया है।

निवासी 63 कि विवेद का बीनी ज्या कि हमा अविवेद का बीन करछना जनपद प्रयागराज के हैं। आवेदक सामान्य जाति के जी कि प्रयागराज के हैं। आवेदक सामान्य जाति के जी कि प्रयागराज के हैं। अवेदक सामान्य जाति के जी कि प्रयागराज नहीं है के अंतर्गत आते हैं। विसीय को 2022 के में मनके परिवार की वार्षिक आय ह लाख रुपये से कम है एवं आवेदक द्वारा दिये गये शवधापत्र के अनुसार उपरोक्त वर्णित 1 लगायत 4 आच्छादित नहीं है।

म्डावसे अरवताकत्मातता थ्रेस म

धनश्याम तियाः (लेखपाल) करछमा, प्रयागराज